प्रकरण संख्या 12/2024 गोपा बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी भूमिहीन कृषक होने से उसे ग्राम बिछडी की बिलानाम आराजी नंबर 1993 में से 0.2500 हैक्टर भूमि दिनांक 29.06.1994 को आवंटित की गयी, जिसकी मौके पर नपती कर आराजी नंबर 2624/1993 रकबा 0.2500 हैक्अर निर्धारित किया गया। आवंटन बाद विधिवत नामान्तरकरण वादी के पक्ष में स्वीकृत किया गया तथा वादी उक्त आवंटित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अतः वादी उक्त भूमि की खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादी को बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 3 तनकियां कायम की गयी एवं उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 31.01.2024 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर उनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी उसे विधिवत आवंटित की जाकर नामान्तरकरण उसके पक्ष में स्वीकृत हुआ है तथा भूमि गैरखातेदारी में दर्ज हुई है, किन्तु भूमि खातेदारी में दर्ज नहीं होने से उनके द्वारा खातेदारी घोषणा चाही गयी है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा अपीलान्ट/वादी का वाद साबित होने के बावजूद वाद मय ब्याज नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:41 IST
Reason: SelfAttested

से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन आदेश दिनांक 29.06.1994 से स्पष्ट प्रकट होता है कि बिलानाम आराजी नंबर 1993 में से 0.2500 हैक्टर भूमि अपीलान्ट/वादी को दिनांक 29.06.1994 को आवंटित की गयी है, जिसके नंबर 2624/1993 कायम किये जाकर विधिवत नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है तथा राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि अपीलान्ट/वादी के गैरखातेदारी में दर्ज है, किन्तु भूमि उसके खातेदारी में दर्ज नहीं होने के कारण वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने विवेचन में विवादित आराजी अपीलान्ट/वादी को आवंटित होना एवं उसके पक्ष में विधिवत नामान्तरकरण स्वीकृत होना तो माना है, किन्तु वादी का वाद गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहे जाने के आधार पर मेन्टेलेबल नहीं मानकर खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 48/2024 निर्णय एवं डिक्री 31.01.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.08.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:41 IST
Reason: SelfAttested